कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक 94/29-1(1) (HRD) देहरादून, दिनांक 15 जुलाई, 2023

कार्यालय ज्ञाप

मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित WP(S/B) 706/2022 वन क्षेत्राधिकारी संघ बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल के निर्णय दिनांक 23.03.2023 द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि WP(S/B) 145/2016 में पारित निर्णय दिनांक 10.03.2017 का अनुपालन न किये जाने वाले अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की जाये। इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल के निर्णय दिनांक 10.03.2017 के अनुपालन में प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) के वनादेश संख्या 111/1–12(7) दिनांक 29.06.2017 एवं वनादेश संख्या 112/1–12(7) दिनांक 29.06.2017 द्वारा समस्त उप वन क्षेत्राधिकारियों को क्षेत्रीय रेंजों से कार्यमुक्त कर वन क्षेत्राधिकारियों की तैनाती किये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये थे।

इस कार्यालय के वनादेश सं0 45/29–1(1)(HRD) देहरादून, दिनांक 28 मार्च, 2023 के द्वारा क्षेत्रीय रेंजों में उप वन क्षेत्राधिकारियों की तैनाती की प्रारम्भिक जांच हेतु दो सदस्यीय समिति का गठन किया गया था।समिति द्वारा प्रारम्भिक जांच कर जांच आख्या पत्रांक ख–1061/29–3(3) देहरादून, दिनांक 29 मई, 2023 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है।

समिति द्वारा प्रेषित प्रारम्भिक जांच आख्या के क्रम में क्षेत्रीय राजियों में उप वन क्षेत्राधिकारियों की तैनाती हेतु उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध All India Services (Discipline and Appeal) Rules,1969 तथा उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासनिक कार्यवाही एवं अपील) नियमावली 2003 यथा संशोधित 2010 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही संपादित करने के लिए निम्नानुसार दो सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है:–

1. श्री नरेश कुमार, मुख्य वन संरक्षक, गढवाल, पौडी।
2. श्री निशांत वर्मा, मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।

यह समिति सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारियों से क्षेत्रीय वन राजियों/यूनिटों में उप वन क्षेत्राधिकारियों को दिये गये प्रभार के सम्बन्ध में कारण बताओ नोटिस जारी करने, उनका प्रत्यावेदन सम्बन्धित क्षेत्रीय वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से प्राप्त करने, संबंधित कारणों की समीक्षा/जांच करने एवं अग्रेतर नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही संपादित किये जाने के सम्बन्ध में सक्षम स्तर को प्रस्ताव भेजने एवं इससे सम्बन्धित पूर्ण कार्यों को संपादन करेगी।

उक्त समिति प्रकरण में उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कर आख्या दो माह के अन्तर्गत प्रेषित करना सुनिश्चित करे, ताकि मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही सम्पन्न की जा सके।

I.T. विभागीय वेबसाईट में अपलोड करें। 18/07

भवदीय

(अनूप मलिक)
प्रमुख वन संरक्षक (HoFF)

पत्रांक 94(1)/29-1(1) दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

2. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. श्री नरेश कुमार, मुख्य वन संरक्षक, गढवाल, पौडी।
4. श्री निशांत वर्मा, मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
6. समस्त वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
7. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण मूल्यांकन, आई.टी. एवं आधुनिकीकरण, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(अनूप मलिक)
प्रमुख वन संरक्षक (HoFF)